विचार बिन्दु

संसार के विरुद्ध खड़े रहने के लिए शक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ईसा दुनिया के खिलाफ खड़े रहे, बुद्ध भी अपने जमाने के खिलाफ गए, प्रहलाद ने भी वैसा ही किया। ये सब नम्रता के धनि थे। अकेले खड़े रहने की शक्ति नम्रता के बिना असंभव है। –महात्मा गाँधी

प्रदेशभर में क्षतिग्रस्त, जर्जर और टूटी-फूटी सड़कें दे रही है हादसों को न्योता

राजस्थान में सडकों की दशा किसी से छिपी नहीं है। मानसून में टूटी-फूटी और क्षत-विक्षत सडकों की आज तक पूरी मरम्मत और सुधार नहीं हो पाया है। सरकार ने घोषणा की थी कि मानसून के तत्काल बाद सडकों का सुधार किया जायेगा। इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया। मगर लगता है यह धन राशि वीआईपी मूवमेंट वाली सडकों पर खर्च कर दी गई। आम आदमी की सडकें आज भी अपने दुरावस्था का रोना रो रही है क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं है। बारिश में टूटी सडकों के बाद जलदाय विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई सडकों की खुदाई ने कोढ़ में खाज का काम कर दिया। सडकों पर हुए इस दुहरे मार का असर लोगों पर पडा और आये दिन दुर्घटनाओं को आमंत्रण मिलने लगा। कहीं सडक किनारे तो कहीं सडकों के बीच हुई खुदाई ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया। राजधानी की बात करें तो यहाँ की सैंकडों कॉलोनियों और गलियों में सडकें टूटी-फूटी पडी है। जन प्रतिनिधियों और सरकारी विभागों की लापरवाही किसी आपराधिक अंजाम से कम नहीं है। राजधानी में कोई सार-संभाल वाला नहीं है तो प्रदेश का तो भगवान ही मालिक है। नगरीय और ग्रामीण सडकें सर्वत्र मरम्मत के भाव में क्षत-विक्षत पडी है।

प्रदेश में सडकों के वर्तमान नेटवर्क पर एक नजर दौड़ाई जाये तो पता चलेगा राज्य में सडकों की स्थिति बेहद खराब और दोषपूर्ण है। मानसून में हुई भारी वर्षा ने राज्य के सम्पूर्ण सडक नेटवर्क को क्षत-विक्षत करके रख दिया। दूसरा एक कारण घटिया सडकों का निर्माण और कमीशन बाजी है। राष्ट्रीय उच्च मार्गों की सडकों को छोड़ दें तो प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सडकें क्षत-विक्षत हैं। प्रदेशभर में सडकों पर चल रहा पेचवर्क का कार्य भी बेहद धीमा है। राजधानी जयपुर में मुख्य सडकों को छोडकर कालोनियों और अन्य सडकों पर लीपापोती की स्थिति जग जाहिर है। राजधानी की यह स्थिति है तो जिला, नगरीय और ग्रामीण सडकों का सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है। वर्षात की बात एक बारगी छोड भी दें तो भी आये दिन किसी न किसी विभाग की खुदाई ने सडकों को तहस-नहस कर रखा है। नगरों और महानगरों की सडकों पर अतिक्रमण किसी से छिपा नहीं है। यूनेस्को द्वारा घोषित राजधानी जयपुर की वर्ल्ड हेरिटेज सीटी का हाल भी सही नहीं कहा जा सकता, जहाँ बाजारों में सरेआम सडक मार्गों पर हुए अतिक्रमणों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है।

> **प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति में अतिक्रमण, अवैध कब्जों और यातायात की बिगड़ी व्यवस्था ने कोढ़ में खाज का काम किया है। विशेषकर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सड़कें अतिक्रमण के कारण सिकुड़ कर रह गई हैं। राजधानी में परकोटे की स्थिति सबसे खराब है। वाहनों के बढ़ जाने के कारण और सड़कों पर अतिक्रमण के फलस्वरूप यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई है। अतिक्रमण और अवैध कब्जों ने इन बाजारों की शांति का जैसे किसी ने हरण कर लिया है।**

सडकें हमारे परिवहन का मुख्य साधन हैं। जहाँ हर रोज हमारे लाखों व्यवसायिक और निजी वाहन सरपट सडकों पर दौडते हैं। सडक परिवहन ने सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। कम एवं मध्यम दूरियों के लिए यह यातायात का सर्वाधिक सुगम एवं सस्ता साधन भी हैं। वास्तव में यह सेवा परिवहन के अन्य साधनों की सहायक है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता, शीघ्रता, लचीलापन एवं दरवाजे तक प्रदान की जाने वाली सुविधा काफी महत्तवपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान राज्य सरकार ने शासन व्यवस्था सम्भालते ही यह घोषणा की थी कि सडकों की प्राथमिकता से सार संभाल की जायेगी और जन भावनाओं के अनुरूप निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लेकर सर्वसाधारण को राहत दी जायेगी। मगर आज भी आप भी राज्य के किसी भी शहरी-ग्रामीण मार्ग पर चले जाइये आपको सडकों की वास्तविकता का ज्ञान हो जायेगा। जयपुर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ हजारों वाहन सडकों पर प्रतिदिन विचरण करते हैं। इन सडक मार्गों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य वी.आई.पी. लगभग रोज ही आते-जाते हैं मगर सडकों की कराह सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ छोटी-मोटी मिलाकर हजारों सडकें हैं जो समुचित देख-रेख के अभाव में घायल अवस्था में पडी हैं। जे.डी.ए. और नगर निगम के सडक मरम्मत के वाहन कहीं-कहीं देखने को मिल जायेंगे मगर गुणवत्ता के अभाव में इनके लगाये पैबंदों की स्थिति कुछ ही दिनों में पुरानी स्थिति में लौट आती है। राजधानी की सडकों की यह स्थिति है तो प्रदेश की जिला, नगर और ग्रामीण सडकों का सहज ही अन्दाज लगाया जा सकता है।

प्रदेश में सडकों की बदहाल स्थिति में अतिक्रमण, अवैध कब्जों और यातायात की बिगडी व्यवस्था ने कोढ़ में खाज का काम किया है। विशेषकर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सडकें अतिक्रमण के कारण सिकुड कर रह गई हैं। राजधानी जयपुर सहित इस समय प्रदेश के सभी मेट्रो सिटी यातायात की सुचारू व्यवस्था नहीं होने से आम आदमी परेशानी को झेल रहा है। राजधानी में परकोटे की स्थिति सबसे खराब है। परकोटे के मुख्य बाजारों किशनपोल, त्रिपोलिया, जौहरी बाजार, रामगंज बाजार, छोटी-बडी चौपड की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वाहनों के बढ़ जाने के कारण और सडकों पर अतिक्रमण के फलस्वरूप यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था बुरी तरह बिगड गई है। अतिक्रमण और अवैध कब्जों ने इन बाजारों की शांति का जैसे किसी ने हरण कर लिया है। ऑपरेशन पिंक के दौरान अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाकर आम नागरिक को राहत दी गई थी मगर अब फिर से अतिक्रमण की पुरानी स्थिति बहाल होने से आम आदमी आहत है। एक बार फिर राजधानी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। लोग चार पहिया वाहन लेकर जाने में डरने लगे हैं।

–अतिथि सम्पादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार)

राशिफल शनिवार 14 मार्च, 2026

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 4:44 तक, वारियान योग दिन 10:42 तक, विष्टि करण प्रातः 8:11 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 9:33 से मकर राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 4:49 से सूर्योदय तक है। भद्रा प्रातः 8:11 तक है। आज चैत्र संक्रांति सूर्य मीन प्रवेश रात्रि 1:03 पर होगा। बुध उदय पूर्व में दिन 12:26 पर होगा। आज दशमी तिथि में वृद्धि हुई है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:10 से 9:39 तक, चर 12:36 से 2:05 तक, लाभ-अमृत 2:05 से 5:02 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:42, सूर्यास्त 6:31

मेष

यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

वृष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सिंह

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

कन्या

परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

तुला

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

मकर

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

मीन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

डॉ. भीमराव अंबेडकर - संविधान सभा के राजऋषि और गणतंत्र भारत के 'भारत रत्न'

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

बाबा साहेब अंबेडकर

डॉ. अंबेडकर का जीवन एक ऐसे व्यक्तित्व का साक्षात् प्रतीक है, जो महर्षि अरविन्द के महाकाव्य 'सावित्री' की इन पंक्तियों की याद दिलाता है:–"एक व्यक्ति की पूर्णता भी दुनिया को बचा सकती है।" डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष, कानून और न्याय मंत्री तथा मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे; उन्होंने 'राष्ट्र-सर्वोपरि' की विचारधारा में विश्वास रखते हुए संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान सुनिश्चित किया।

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बी.आर. अंबेडकर को बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए प्रतिमाह 25 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। बाद में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके प्रवास के दौरान, सयाजीराव ने इस मेधावी विद्वान-जो आगे चलकर 'बाबासाहेब अंबेड' के नाम से विख्यात हुए-को प्रतिमाह 11.5 पाउंड की सहायता राशि दी। डॉ. अंबेडकर ने राजा गायकवाड़ के बड़ौदा राज्य में रक्षा सचिव के पद पर भी कार्य किया।

सयाजीराव ने अरबिंदो घोष को भी बड़ौदा राज्य सेवा में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया था; अरबिंदो घोष ने इंग्लैंड में आयोजित घुड़सवारी परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहकर आइसीएस (भारतीय सिविल सेवा) में शामिल न होने का निर्णय लिया था। डॉ. अंबेडकर 'मूक नायक' पत्रिका के संपादक थे। वे चौंसठ विषयों के विशेषज्ञ थे। अपनी पुस्तक "पाकिस्तान या भारत का विभाजन" में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव के खतरों को उजागर किया है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि जो बात एक समुदाय के लिए गर्व का विषय है, वही दूसरे समुदाय के लिए शर्म का विषय हो सकती है; इसलिए, वे हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक मुद्दे के एकमात्र व्यावहारिक समाधान के रूप में "जनसंख्या के पूर्ण हस्तांतरण" का सुझाव देते हैं। जाति और वर्ण व्यवस्था के जटिल मुद्दे को समझने के लिए, उनकी पुस्तक 'जाति का विनाश' (Annihilation of Caste) सभी को अवश्य पढ़नी चाहिए। उन्होंने भारत के लोगों को बांटने वाली 'आर्यन आक्रमण' की अवधारणा का कड़ा विरोध किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना का श्रेय भी उनकी पुस्तक "रुपये की समस्या: इसका उद्भव और इसका समाधान" (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution) को जाता है।

पूना पैक्ट (1932) हिंदुओं को एकजुट रखने के प्रति उनके राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है, और इस प्रकार इसने "पृथक निर्वाचक मंडल" के माध्यम से हिंदुओं को विभाजित करने की ब्रिटिश साज़िश को विफल कर दिया।

लोकतंत्र में बहस महत्वपूर्ण है। विचारों से असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है। चुनी हुई संसद द्वारा पेश किए गए बिल पर मर्यादित बहस स्वीकार्य है। बहस में ऐतिहासिक, कानूनी, सांस्कृति, धार्मिक, नैतिक, अंतराष्ट्रीय कानूनी के तर्क रखे जाते है। संसद में पेश करने पर प्रारूप आमजन एवं सांसदों के लिए पढने, समझने के लिए उपलब्ध रहता है। सिविल सोसायटी भी अपना पक्ष रखती है। मिडिया भी पक्ष, विपक्ष, विषय के विशेषज्ञ, सिविल सोसायटी को एक मंच पर लाकर लोगो को प्रस्तावित कानून के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करता है। संसद में बिल पर वोटिंग होती है बहुमद मिलने पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद बिल कानून के रूप में राजपत्र में छपने पर एक निश्चित दिन से लागू किया जाता है। उल्लेखनिय है कि इस प्रक्रिया में न्याय पालिका की भूमिका कानून बनने के बाद आती है। जो भी निर्णय हो, सबको सम्मानपूर्ण उसको आदर करना चाहिए। इस प्रक्रिया का आदर करना संविधान नैतिकता कहलाती है जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान प्रारूप को पेश करते समय 04 नवम्बर 1948 में संविधान सभा में कहा था। बाबासाहेब अंबेडकर को आने वाली पीढ़ियों की समझदारी पर भरोसा था; यह बात इस सवाल के उनके संविधान में जवाब से ज़ाहिर होती है कि क्या शिक्षा संस्थानों में गीता और वेदों की शिक्षा दी जानी चाहिए? उनका जवाब था कि जब भविष्य में ऐसा कोई मौका आएगा, तो इस पर फ़ैसला न्यायपालिका करेगी।

आज राष्ट्रगीत का विरोध डॉ. अंबेडकर की उन टिप्पणियों की याद दिलाता है जो उन्होंने 7 दिसंबर 1948 को संविधान सभा की बहसों के दौरान की थीं: दुर्भाग्य से, इस देश में जो धर्म प्रचलित हैं, वे केवल गैर-सामाजिक ही नहीं हैं; जहाँ तक उनके आपसी संबंधों का सवाल है, वे असामाजिक भी हैं-एक धर्म यह दावा करता है कि उसकी शिक्षाएँ ही मोक्ष का एकमात्र सही मार्ग हैं, और बाकी सभी धर्म गलत हैं। मुसलमानों का मानना है कि जो कोई भी इस्लाम के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता, वह 'काफ़िर' है और मुसलमानों से भाईचारे वाले व्यवहार का हकदार नहीं है।

भारत के संविधान में प्रशासनिक सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए दस वर्षों का राजनीतिक आरक्षण, उनकी इस अपेक्षा को रेखांकित करता है कि गणतंत्र भारत के दस वर्षों के भीतर ही इतना उत्थान हो जाएगा कि राजनीति में किसी भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी; परंतु गणतंत्र भारत सात दशक बीत जाने के बाद भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की 'आत्मा' माना, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा पूर्ण मौलिक अधिकार है जिसके तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (लागू करवाने) के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, डॉ. अंबेडकर और वीर सावरकर ने खुलकर इस बात की वकालत की कि भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहिए। वे गृहयुद्ध की आशंका को भांप सकते थे, और उनके विचार में हिंसा का मुकाबला करने तथा आत्मरक्षा हेतु हिंदू आबादी के लिए सैन्य प्रशिक्षण ही एकमात्र विकल्प था। भारत विभाजन में हिंसा ने उनके निर्णय को सही साबित किया।

कानून मंत्री के तौर पर, 19 मार्च 1955 को संविधान जलाने के मामले में अक्सर उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जाता है। उन्होंने इसके जवाब में कहा था, "हमने एक देवता के आने और रहने के लिए एक मंदिर बनाया था; लेकिन देवता के स्थापित होने से पहले ही, अगर किसी शैतान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया हो, तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा हम और क्या कर सकते थे? हमारा इरादा यह बिल्कुल नहीं था कि इस पर असुरों का कब्ज़ा हो। हमारा इरादा तो यह था कि इस पर देवताओं का अधिकार हो। यही वजह है कि मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना ही बेहतर समझूंगा।" वर्ष 1956 में, हिंदू धर्म की कुरीतियों को उजागर करने के उद्देश्य से अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया।

बाबासाहेब अम्बेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉ. अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बहसों के दौरान गणतंत्र भारत के सामने तीन खतरों की ओर ध्यान दिलाया था। डॉ. अंबेडकर ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत को क्रांति के हिंसक तरीकों को त्याग देना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब संवैधानिक तरीके उपलब्ध हों, तो असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीति में 'भक्ति' या 'नायक-पूजा' पतन का निश्चित मार्ग है। तीसरी बात, जिसकी उन्होंने गणतंत्र भारत से अपेक्षा की थी, वह यह थी कि क्या राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाया जाएगा? डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं रह सकता, जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका अर्थ है ;जीवन जीने का एक ऐसा तरीका, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को एक त्रिमूर्ति के अलग-अलग घटकों के रूप में नहीं देखा जान चाहिए। वे एक त्रिमूर्ति के रूप में इस अर्थ में एक संघ बनाते हैं कि यदि इनमें से किसी एक को भी दूसरे से अलग किया जाए, तो यह लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, और समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना, स्वतंत्रता कुछ लोगों को बहुत से लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने का अवसर देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त कर देगी। और बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएंगी।

–सूर्य प्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय

शिष्टाचार में भ्रष्टाचार; भ्रष्टाचार में शिष्टाचार

राम निवास बैरवा

"जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है" के दार्शनिक सिद्धांत से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है-"शिष्टाचार में भ्रष्टाचार; भ्रष्टाचार में शिष्टाचार"। यह ज्ञान गौतम बुद्ध को भी प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध का समय गणतन्त्रों से राजतंत्रों के दौर में जाने का था, आज पूर्णतः पूंजीवाद है, जिसमें शिष्टाचार और भ्रष्टाचार परिपक्व होकर प्रकट हो सके हैं।

शिष्टाचार और भ्रष्टाचार का ज्ञान भारत में विद्यमान अखिल भारतीय सेवाओं से ही प्रवाहित होता है; क्योंकि इन अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के साथ ही व्यक्ति सोलह-कला सम्पूर्ण हो जाता है जो गीता जैसा उपदेश भी देता है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, तो निशस्त्रों को मारने के लिए भी प्रेरित करता है। तरने वाली अक्षेहिणी जनता ही है; बेशक इंडियन पेनल कोड की धारा 21, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(28) में इन्हें 'जन सेवक' या 'लोक सेवक' या 'पब्लिक सर्वेंट' कह कर इनकोविभूषित किया गया है, लेकिन ये उस मरने वाली अक्षोहिणी जनता के सेवक नहीं हैं। जैसा कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग अपने आपको जन-सेवक दिखाने की कोशिश करते हैं, कानूनों से अलंकृत 'जन सेवक' या 'पब्लिक सर्वेंट' में अजीब सी एकात्मता है। अनोखा विरोधाभास है 'जन' या 'लोक' या 'पब्लिक' शब्दों में। यहां दोनों आत्मा-परमात्मा की तरह एक हुए नजर आते हैं। जनता एकलव्य की तरह जनता ही रह जाती है जिसका 'अंगूठा' कोई भी उसका भला चाहने वाला द्रोणाचार्य बनकर कटवा देता है। जनता 'जन सेवकों' से पार नहीं पा सकती, जब तक कि वह शिष्टाचार और भ्रष्टाचार के सारगर्भित भेद को नहीं जान जाती। "सर्व खाल्विदं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन" के ज्ञान में से ही 'अहम् ब्रह्मास्मि' जैसी अधिकार सम्पन्नता के आभूषण मिलते है 'पब्लिक सर्वेंट' को।

सर्वेंट चाहे 'पब्लिक' का हो, चाहे 'जन सेवक' वे जनता के सेवक कभी नहीं हो सकते। भारतीय पुलिस एक्ट, 1861 की धारा 3 उन्हें पहले 'सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट' यानि कि सरकार का नौकर होने को दर्जा देती है, फिर उन्हें पब्लिक सर्वेंट बनाती है, जब 'जनता' के बीच उन्हें काम करना होता है। क्योंकि 'जनता' उपरोक्त दृष्टिकोण से हमेशा ही 'अपराधी' मानी गई हैं। पूंजीवाद ने उन्हीं में से जन-सेवक बना दिये हैं जो पूंजीवाद में सरकार कहलाती है। इस हिसाब से समस्त अखिल भारतीय सेवाएं सरकार के अर्थात् 'जनसेवकों' के सर्वेंट हैं। इसी में 'शिष्टाचार में भ्रष्टाचार' और 'भ्रष्टाचार में शिष्टाचार' के ज्ञान का स्त्रोत निहित है।

इस स्त्रोत को कई कोणों से स्थापित किया जा सकता है। लेकिन, यह अकाट्य है कि पुलिस के कांस्टेबल/हैड कांस्टेबल जिसमें कथित अन्वेषण करने वाले इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, तथा अन्य मामलों में पटवारी के प्राथमिक लेख या आलेख को बदलने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं है। हाँ वे सिर्फ इतना ही कह सकते है कि जाँच-पड़ताल सही तरह से नहीं गई है, और मामला फिर से उन्हीं के हाथों में आ जाता है।

कथित वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उनके सामने आये मामले को वे अपने विवेक से तय करें। यह जिंदगी का ख्वाब है। पिछले दिनों दो समकक्ष भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से किसी मामले में बात हुई। एक अधिकारी ने उस मामले में कथित अन्वेषण अधिकारी, जो कि थानेदार की इच्छानुसार काम करता है, की ही बात को दोहरा कर मामले को खतम कर दिया। उसी मामले में दूसरे अधिकारी ने अपने विवेक को इस्तेमाल करके समस्या का समाधान करके मामले को निपटाने के लिए अधीनस्थ थानाधिकारी को निर्देश दिया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आज (दिनांक 7 मार्च, 2026) के जयपुर से प्रकाशित अखबारों में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा भरतपुर के कलेक्टर तथा एस. पी. की कार्यप्रणाली पर टिप्पणि छापी गई है कि आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक हैडकांस्टेबल की रिपोर्ट को ही आधार बनाया। यह मामला एक 12 साल की सजा काट चुके कैदी की 20 दिन की पैरोल का था।

इसी प्रकार आई.ए.एस. या समकक्षों को अर्द्धन्यायिक मामलों में स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए मामलों में निर्णय देना होता है। उन पर बाध्यता है कि न्यायिक अधिकारियों, न्यायाधीशों के विपरीत, वे अपने निर्णय में लिखे कि "अपने विवेक का इस्तेमाल करने के पश्चात् या ''जिमत ंचचसलपदह उल उपदकष्एकथित निर्णय दिया गया है। यह विवेक का प्रयोग ही वह बिन्दु है जहां मामले की गम्भीरता या मामले में शामिल अनुमानित राशि या लाभ की मात्रा के अनुसार उनका 'विवेक' काम करता है। जनता हमेशा ही शान्तिप्रिय होती है, सरकार कैसे भी नियम-कानून बनाये, वह उनकी पालना करती है और अधिकारियों से अपेक्षा करती है ि कवे उनके अनुपालन में उनकी सहायता करे। लेकिन, दुर्भाग्य है कि कानून भी और अधिकारी भी जनता को अपराधी ठहराने में लगे होते हैं।

अगर आप अपनी बात कहना भी चाहेंगे तो अधिकारी ही नहीं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी शान्ति भंग करने के आरोप में और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप लगा देंगे। यह आपके शिष्टाचार का प्रतिफल होगा और फिर आप किसी ना किसी को तलाशेंगे जो आपके शिष्टाचार को आपकी सफलता में बदल देंगे, कुछ लेन-देन करके।

यह सही है कि आई.पी.एस., आई.ए.एस. अधिकारी 'सरकार' के नौकर हैं, लेकिन 'सरकार' क्या है? पांच वर्षों के लिए चुने गये राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों का समूह- मंत्रीमंडल सरकार नहीं हो सकता। संविधान पांच वर्षों के लिए किसी के पास गिरवी रखने की चीज नहीं है। संविधान निरन्तरता का दस्तावेज है जिसकी निरन्तरता को बनाये रखने की ही जिम्मेदारी आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारियों पर है, इसीलिए उन्हें अनुच्छेद 312 में संवैधानिक अधिकारी माना गया है। संविधान में एक प्रशासनिक ढांचा विकसित करने की व्यवस्था की गई है। उस प्रशासनिक ढांचे का आधार समस्त प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके लिए कुछ नीतियां तय की गई हैं।

वे नीतियां संविधान में 'राज्यों के निदेशक सिद्धांतों' के नाम से लिखे गये हैं। ये निदेशक सिद्धांत सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन के हरेक क्षेत्र में लागू किया जाना अनिवार्य है। निश्चित रूप से उन नीतियों पर कानून बनाना एक वैधानिक प्रश्न हो सकता है, लेकिन कानून बनाने से परे भी उन सिद्धांतों को लागू करने का उत्तरदायित्व इन अधिकारियों पर ही है।

परन्तु भारत की जनता का दुर्भाग्य है कि सारे आई.पी.एस., आई.ए.एस. अधिकारी प्रत्येक पांच वर्षों के लिए बनाये गये नेताओं के समूह के हाथों अपने आप को गिरवी रख देते हैं। इस प्रकार अपने आप को गिरवी रखने का, अपने आपको बंधुआ बना देने के कारण उनके सुविधा भोग की प्रवृत्ति के कारण ट्रांसफर किये जाने का उनका भय है। यहीं कारण है कि ए.पी.ओ. (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) सैकड़ों अफसरों को रखा जाता है। फिर वे अपनी पंचवर्षीय वफादारी का सबूत कुछ ले देकर करते हैं। बदले में नेतागण नौकरशाहीको उनकीमनमर्जी के नियम-कानून बनाने की छूट देते हैं। यह एक प्रकार से एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखने की नीति है।

संसद में जो भी कानून बनाया जाता है उन पर विमर्श प्रायः नहीं के बराबर होता है। कभी-कभी तो घंटे-आधे घंटे में ही तीन-चार या इनसे भी ज्यादा बिल पास करके कानून बना दिये जाते हैं। और उन कानूनों में उनको लागू करने के नियम-विनियम या निर्देश देने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दिया होता है या राज्य सरकारों को दिया होता है। तब ऐसे नियम-विनियम बनाये जाते हैं कि हर कदम पर जनता अपराधी बनाई जाती है। यही अपराधी बनाने की प्रवृति ही धन देने, धन की उगाही का कारण होते हैं। उल्लेखनीय है कि दुनिया के प्रत्येक धर्म में अनुयायियों में अपराध बोध पैदा किया जाता है, जिनसे मुक्ति के लिए वे दान-दक्षिणा देते हैं, अनुष्ठान आदि करवाते है। यहीआधुनिक कानूनों का ब्रह्म-सिद्धांत है।

अन्यथा, यदि आई.ए.एस., आई.पी.एस. अफसर संवैधानिक निर्देशों और प्रतिबद्धताओं के साथ काम करें तो वे नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बिलों के प्रारूप बनायें, नियम-कानून बनायें। तब उन्हें राजनीतिक पार्टियों की पंचवर्षीय सरकारों के कर्त्ताधर्ताओं की इच्छाओं को सरकार की नीति की नीति के निदेशक सिद्धांत नहीं बनाने पड़ेंगे। आज के दौर में अलाणी नीति, फलाणी नीति, उठने-बैठने की नीतियां बनवाई जाती हैं जिनके पीछे कोई संवैधानिक कानून नहीं होता है, बल्कि सरकार के बदलने के साथ ही सब नीतियां हवा हो जाती हैं, फिर नई नीतियां बनायी जाती हैं। तब प्रशासन के स्थायी स्त्रोत आई.ए.एस., आई.पी.एस. फिर से अपने नये आकांओं की जी हुजूरी में लग जाते हैं- भ्रष्टाचार के नये स्त्रोत खुल जाते हैं।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अजमेर रेल मंडल में 52.70 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण कार्य पूर्ण

अजमेर, (निसं)। अजमेर रेल मंडल प्रशासन द्वारा रेलवे संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 52.70 किलोमीटर रेल ट्रैक का नवीनीकरण कार्य पूरा किया गया है। इस कार्य का उद्देश्य रेल संचालन को और अधिक सुरक्षित बनाना तथा रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करना है।

> ■ **नवीनीकरण कार्य का उद्देश्य रेल संचालन को और अधिक सुरक्षित बनाना तथा रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करना है**

रेलवे अधिकारियों के अनुसार पुराने और घिसे हुए ट्रैक को बदलने से ट्रेन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और पटरी टूटने जैसी घटनाओं का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा नए ट्रैक बिछाने के बाद ट्रेनों की गति सीमा बढ़ाने में भी मदद मिलती है, जिससे यात्रियों का यात्रा समय कम होता है। ट्रैक नवीनीकरण के दौरान आधुनिक मशीनों का उपयोग किया गया। इसमें पीक्यूआरएस (प्लास्सर क्विक रिलेयिंग सिस्टम) जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो कम समय में अधिक सटीक और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करती है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक नवीनीकरण के बाद ट्रेनों के संचालन में स्मूथनेस आती है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान झटके कम महसूस होते हैं और सफर अधिक आरामदायक बनता है। रेल मंडल प्रशासन द्वारा भविष्य में भी रेलवे संरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के कार्य जारी रखे जाएंगे।